न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–215/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00195)

1. ग्यारसा पुत्र मन्ना जाति मीना निवासी जगदीशपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान **(मृतक दौराने अपील)**
   1/1. कल्याण सहाय मीना पुत्र स्व. श्री लच्छु मीना, जाति मीना निवासी मण्डावरी तहसील कोटखावदा जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 18.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम जगदीशपुरा के खसरा नम्बर 92, 93, 94 को रिकार्डेड खातेदार अपीलार्थी है जिसकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से कोई भी सहमति नही थी तथा स्वयं ग्राम पंचायत ने ग्राम जगदीशपुरा में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 105, 106, 107, 200, 203, 205 में से रास्ते हेतु अपनी अनापत्ति प्रदान की थी जो कि पत्रावली पर उपलब्ध थी इसके अलावा अपीलार्थी की कोई भी सहमति नही थी। अपीलार्थी एक अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई करें ही तथा यह स्पष्ट होने पर कि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है तब भी उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी पालन नही किया गया है बल्कि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसको सुना जाना आवश्यक एवं उचित है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को उपरोक्त आदेश की कोई भी जानकारी पूर्व नही थी। दिनांक 28.08.2019 को अपीलार्थी ने जमाबन्दी की नकल ली तो उसमें नामान्तरकरण का नोट देखा तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की, जो नकल अपीलार्थी को दिनांक 29.08.2019 को प्राप्त हुई जिसके तुरन्त बाद यह अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा देरी के सम्बन्ध में माफी के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मद्देनजर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 को अपास्त किया जावें तथा रेस्पोडेन्ट के मूल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि वाके ग्राम जगदीशपुरा मण्डावरी क्षेत्र में स्थित खेडारानीवाय से मण्डावरी जाने का आम रास्ता सभी आमजन एवं कृषकों के आवागमन हेतु उपयोग में आने से राज्य सरकार विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में खातेदारान की सहमति से तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी को आम रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिसमें अपीलान्ट स्वयं ग्यारसा द्वारा अपनी अंगूठा निशानी अंकित करके उक्त रास्ते बाबत अपनी सहमति दी गई है। ऐसे में अब अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश बाबत अज्ञात करने का कानूनी हक अधिकार नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि तहसीलदार कोटखावदा द्वारा उक्त आराजी में से रास्ते बाबत खातेदारान की सहमति पर एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्ताव भिजवाये गये है तथा अपीलान्ट ग्यारसा स्वयं द्वारा उक्त रास्ते बाबत अपना अंगूठा निशानी अंकित कर सहमति दी गई है। ऐसी स्थिति में अब अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उज्ञात करने के अधिकार अपीलान्ट के पास नही है।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।